23–समस्तीपुर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं बिहार विधान सभा का उप निर्वाचन, 2019

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांकः बी1–3–126/2019– 7285 पटना, दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 ई0।

प्रेषक,

बैजूनाथ कुमार सिंह,
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–जिला पदाधिकारी,
समस्तीपुर, किशनगंज, दरभंगा,
सहरसा, सिवान, भागलपुर एवं बांका।

विषय :– **23–समस्तीपुर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा 54–किशनगंज, 76–सिमरी बख्तियारपुर, 109–दरौंदा, 158–नाथनगर एवं 163–बेलहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन, 2019 – मतदान के दिन भेजे जाने वाले प्रतिवेदनों के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि 23–समस्तीपुर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा 54–किशनगंज, 76–सिमरी बख्तियारपुर, 109–दरौंदा, 158–नाथनगर एवं 163–बेलहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन, 2019 के क्रम में दिनांक 21.10.2019 को मतदान होना निर्धारित है। मतदान के लिए 7:00 बजे पूर्वाह्न से 5:00 बजे अपराह्न तक का समय निर्धारित किया गया है। मतदान के दिन घटने वाली घटनाओं एवं मतदान की प्रगति के संबंध में निम्नलिखित प्रतिवेदन उल्लिखित क्रम में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार को उपलब्ध कराये जाने हैं :–

क) पहला प्रतिवेदन 1.00 बजे अपराह्न।
ख) दूसरा प्रतिवेदन 7.00 बजे अपराह्न।
ग) तीसरा प्रतिवेदन मतदान के दूसरे दिन 07:00 बजे पूर्वाह्न (17A के संवीक्षा के बाद)।

इन प्रतिवेदनों में मतदान के दिन मतदान प्रारम्भ होने की सूचना, दिन की महत्वपूर्ण घटनाएँ, दंगा, हिंसा, प्राकृतिक दुर्घटनाएँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ की गयी छेड़छाड़, पीठासीन पदाधिकारी के अभिरक्षण से जबर्दस्ती मशीन को ले भागने की घटना, मौसम, मतदान के प्रतिशत आदि का उल्लेख किया जाना चाहिए। तीसरे प्रतिवेदन में, जो मतदान के दूसरे दिन 07:00 बजे पूर्वाह्न में भेजा जाये, यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि सभी पीठासीन पदाधिकारियों की डायरियों की संवीक्षा कर ली गयी है। संवीक्षा के क्रम में यदि अनियमितता पायी जाती है तो इसका प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया जाये। पुनर्मतदान के संबंध में स्पष्ट प्रस्ताव का उल्लेख किया जाये।

3–उपर्युक्त प्रतिवेदनों के अतिरिक्त मतदान के दिन भारत निर्वाचन आयोग एवं इस कार्यालय को प्रत्येक दो घंटे पर मतदान प्रतिशत एवं मतदान के दिन की गतिविधियों से संबंधित प्रतिवेदन 9.00 बजे पूर्वाह्न, 11.00 बजे पूर्वाह्न, 1.00 बजे अपराह्न, 3.00 बजे अपराह्न, 5.00 बजे अपराह्न एवं 7.00 बजे अपराह्न उपलब्ध कराया जाये।

इसे कृपया अति महत्वपूर्ण समझा जाये।

विश्वासभाजन

15.10.2019

(बैजूनाथ कुमार सिंह)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

ज्ञापांकः– बी1–3–126/2019– 7285 पटना, दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 ई0।

प्रतिलिपि :– प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया/कोशी प्रमंडल, सहरसा/सारण प्रमंडल, छपरा/भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/निर्वाची पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज, निर्वाची पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर, निर्वाची पदाधिकारी–सह–उप विकास आयुक्त, सिवान, निर्वाची पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, भागलपुर, एवं निर्वाची पदाधिकारी–सह–उप विकास आयुक्त, बांका को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.10.2019

(बैजूनाथ कुमार सिंह)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

ज्ञापांकः– बी1–3–126/2019–7285 पटना, दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 ई0।

प्रतिलिपि :– उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया/कोशी प्रमंडल, सहरसा/सारण प्रमंडल, छपरा/भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/उप निर्वाचन पदाधिकारी, समस्तीपुर, दरभंगा, किशनगंज, सहरसा, सिवान, भागलपुर एवं बांका को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.10.2019

(बैजूनाथ कुमार सिंह)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार